फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम गंगाराम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

या 9330 - 9324

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/2/25	वादी उपस्थित। अधिशासन दिनांक 08/1/25 के अनुसार वादी के प्रतिवादी संख्या 01 एवं 3, 5, 7 की तलबीह एवं AD नोटिस के तलबी करवाई गयी थी। परन्तु लगभग 01 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी वादी द्वारा शेष प्रतिवादीगणों के सम्बन्ध में एवं AD तलबी प्रेषण नहीं की गयी। उपरोक्त इस्तेमाल वादी एवं तलबी हेतु डाक खर्चा देने में विफल रहा है। अतः वादी का वाद अधिनियम 09 नियम 02 CPC के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारों को भारत के कार्यालय फैसल शुल्क एवं विधिक सहायता फैसल शुल्क	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम